

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक-स0शि0अ0/आर0टी0ई0/ 1560 /2022-23 दिनांक :-16-April-22

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

RISHAB ACADEMY

215-A, WESTEND ROAD, MEERUT CANNT

विषय-शैक्षिक सत्र 2022-23 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 की धारा-12(1)(ग) के अन्तर्गत आस-पास के गैर सहायित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का प्राथमिक कक्षा/कक्षा 1 में कम से कम 25% सीमा तक प्रवेश करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 की धारा-12(1)(ग) के अन्तर्गत आस-पास के गैर सहायित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के पूर्व प्राथमिक कक्षा/कक्षा 1 में कम से कम 25% सीमा तक प्रवेश करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-3087(1)/79-5-2012-29/09 टी0सी0-11 शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक-03.12.2012, शासनादेश संख्या-538/79-6-2013 शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक-20.06.2013, शासनादेश संख्या-266/79-5-2016-29/2009 टी0सी0-11 शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक-24.02.2016, शासनादेश संख्या-582/79-5-2016-29/2009 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक-03.03.2016, शासनादेश संख्या- 999/79-5-2016-29/2009 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक-11.05.2016, शासनादेश संख्या- 78/79-6-2017/शिक्षा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक-20.01.2017, शासनादेश संख्या-582/79-5-2016-29/2009 टी0सी0-11 दिनांक 03 मार्च 2018 एवं महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-आर0टी0ई0-शि0/5382/2021-22 दिनांक 11 फरवरी 2022 एवं उक्त के सम्बन्ध में राज्य स्तर से समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा निर्देशों के अनुपालन में तथा जिलाधिकारी महोदय मेरठ के अनुमोदन उपरान्त अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर प्रथम लॉटरी में चयनित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12 (1)(ग) के अन्तर्गत गैर सहायित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षा/कक्षा 01 में प्रवेश हेतु निम्नांकित बच्चे का नाम आपको इन निर्देशों के साथ प्रेषित है कि बच्चे का सम्बन्धित कक्षा में अपने विद्यालय में प्रवेश कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये-

S.No.	Student Name	Father's Name	Date of Birth	Class	Category	School Name
1.	MUHAMMAD RAYYAN	MAZHAR	14-08-2015	CLASS 1	अलाभित समूह	RISHAB ACADEMY

यदि आवेदक द्वारा आवेदन करते समय प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों में कोई भिन्नता पाई जाती है/प्रमाण पत्र कुटुरचित पाये जाते हैं तो यह प्रवेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। यहाँ यह भी सूच्य है कि उक्त शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत बच्चे से पूर्व प्राथमिक कक्षा/कक्षा 01 से कक्षा 08 तक किसी भी प्रकार की फीस विद्यालय द्वारा नहीं ली जायेगी। कक्षा 01 से कक्षा 08 तक अध्ययनरत रहने पर विद्यालयों की मांग के अनुसार प्रति माह प्रति बच्चा अधिकतम रू0 450/- अथवा विद्यालय द्वारा प्रति माह प्रति बच्चा ली जा रही फीस, उक्त फीस में जो कम हो, उस फीस की प्रतिपूर्ति, शासन द्वारा प्राप्त धनराशि से, विद्यालय द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ को समय से मांग प्रेषित करने पर की जायेगी। आप अपने विद्यालय में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के प्रवेशित बच्चों के सम्बन्ध में सूचना, पत्र के साथ संलग्न प्रारूप 01 एवं 03 पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मेरठ।

पू0सं0-स0शि0अ0/आर0टी0ई0/ 1560 /2022-23 दिनांक :- तदैव।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, मेरठ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
6. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 शिखर कार्यालय, निशातगंज, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8. संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल, मेरठ।
9. जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
10. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल, मेरठ।

वास्ते श्री पार्वर जिनेन्द्र शिक्षा परिषद (रजि.)

Attested  
Mohd  
24/04/22





